3000 छात्रों को हर साल उद्यमिता का प्रशिक्षण

देवभूमि उद्यमिता योजना को मंजूरी : भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान के साथ हुआ समझौता

देहरादून। राज्य के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों में हर साल 3000 छात्रों को उद्यमिता का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बृहस्पतिवार को उच्च शिक्षा विभाग की देवभूमि उद्यमिता योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।

योजना को परवान चढ़ाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद के साथ समझौता किया है। योजना का मकसद राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत राज्य को आत्मनिर्भर और सशक्त राज्य के रूप में विकसित करने के लिए युवाओं को

उद्यमिता व कौशल से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना है। राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र-छात्राओं के लिए बूट कैंप पिचिंग इवेंट, सीड फंडिंग, उच्च शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत प्राध्यापकों के लिए उद्यमिता मेंटर प्रशिक्षण, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, राज्य में उद्यमिता विकास के लिए प्रोफाइल एंड ऑपर्च्यूनिटी मैपिंग, चयनित उच्च शिक्षण संस्थानों के माध्यम से प्रतिवर्ष 3000 युवाओं को उद्यमिता प्रशिक्षण दिया जाएगा।

उच्च शिक्षण संस्थानों में अधिकारियों, प्राचार्यों और कुलपतियों का प्रशिक्षण, विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए उद्यमिता पाठ्यक्रम निर्माण भी होगा। देवभूमि उद्यमिता योजना संचालित करने के लिए सात करोड़ 11 लाख 95 हजार की कार्ययोजना तैयार की गई है। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान 1983 में आईडीबीआई बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों की ओर से स्थापित एक अखिल भारतीय संस्थान है। जो उद्यमिता विकास, प्रशिक्षण, शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत है। देश भर में इसके सात क्षेत्रीय कार्यालय और 22 परियोजना कार्यालय संचालित हैं।

यह एक इन्क्यूबेशन सेंटर क्रेडल संचालित करता है, जो स्वास्थ्य देखभाल, कृषि-प्रसंस्करण, विनिर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखता है। यह गुजरात सरकार की ओर से उद्यमिता में नोडल एजेंसी और एंकर संस्थान है। ब्यूरो

देवभूमि उद्यमिता योजना पर हुआ मंथन

देहरादून। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से दून विवि में बुधवार को उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों व उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ देवभूमि उद्यमिता योजना के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता ईडीआईआई के महानिदेशक डॉ.सुनील शुक्ल ने राज्य में उद्यम की संभावनाओं पर जोर दिया। कार्यशाला में उच्च शिक्षा विभाग के सहायक निदेशक डॉ.गोविन्द पाठक, नोडल अधिकारी डॉ.दीपक पांडेय भी उपस्थित हुए।

3000 छात्रों को हर साल उद्यमिता का प्रशिक्षण

देवभूमि उद्यमिता योजना को मंजूरी : भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान के साथ हुआ समझौता

देहरादून। राज्य के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों में हर साल 3000 छात्रों को उद्यमिता का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बृहस्पतिवार को उच्च शिक्षा विभाग की देवभूमि उद्यमिता योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।

योजना को परवान चढ़ाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद के साथ समझौता किया है। योजना का मकसद राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत राज्य को आत्मनिर्भर और सशक्त राज्य के रूप में विकसित करने के लिए युवाओं को

उद्यमिता व कौशल से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना है। राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र-छात्राओं के लिए बूट कैंप पिचिंग इवेंट, सीड फंडिंग, उच्च शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत प्राध्यापकों के लिए उद्यमिता मेंटर प्रशिक्षण, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, राज्य में उद्यमिता विकास के लिए प्रोफाइल एंड ऑपर्च्यूनिटी मैपिंग, चयनित उच्च शिक्षण संस्थानों के माध्यम से प्रतिवर्ष 3000 युवाओं को उद्यमिता प्रशिक्षण दिया जाएगा।

उच्च शिक्षण संस्थानों में अधिकारियों, प्राचार्यों और कुलपतियों का प्रशिक्षण, विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए उद्यमिता पाठ्यक्रम निर्माण भी होगा। देवभूमि उद्यमिता योजना संचालित करने के लिए सात करोड़ 11 लाख 95 हजार की कार्ययोजना तैयार की गई है। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान 1983 में आईडीबीआई बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों की ओर से स्थापित एक अखिल भारतीय संस्थान है। जो उद्यमिता विकास, प्रशिक्षण, शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत है। देश भर में इसके सात क्षेत्रीय कार्यालय और 22 परियोजना कार्यालय संचालित हैं।

यह एक इन्क्यूबेशन सेंटर क्रेडल संचालित करता है, जो स्वास्थ्य देखभाल, कृषि-प्रसंस्करण, विनिर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखता है। यह गुजरात सरकार की ओर से उद्यमिता में नोडल एजेंसी और एंकर संस्थान है। ब्यूरो

शोध करने वाले छात्र-शिक्षकों को 15 से 18 लाख देगी सरकार

पांच लाख से ऊपर वाले हर प्रोजेक्ट में छात्रों को अनिवार्य रूप से शामिल करना होगा

अमर उजाला ब्यूरो

देहरादून। राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों के शिक्षकों व छात्रों को शोध करने पर सरकार 15 से 18 लाख रुपये का अनुदान व 5000 प्रतिमाह मानदेय देगी। बृहस्पतिवार को इसके लिए 'मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना' को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षा का माहौल बनाने, नई तकनीकों के अनुप्रयोग के कारण शोध की भूमिका अहम मानी जा रही है। नई शिक्षा नीति में भी शोध को प्राथमिकता दी गई है। लिहाजा, इसी शैक्षिक सत्र 2023-24 से सरकार ने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इसके तहत मानविकी, सामाजिक विज्ञान, भाषा, साहित्य, पर्यावरण, ज्वलंत मुद्दों, उत्तराखंड विकास पर शोध, पर्यटन, परंपरागत विज्ञान, इंजीनियरिंग में उभरते क्षेत्रों में शिक्षण और शोध को प्रोत्साहित किया जाएगा। शोध के लिए व्यापक विषय क्षेत्र विज्ञान, कला एवं मानविकी, गृह विज्ञान, वाणिज्य प्रबंधन सहित अंतर्विषयक विषय क्षेत्र भी स्वीकार किए जाएंगे।

राज्य से संबंधित शोध विषयों को प्रोत्साहित करते हुए विशिष्ट समस्या समाधान और क्रियात्मक शोध विषयों को वरीयता दी जाएगी। शोध प्रोत्साहन योजना के लिए राज्य के शासकीय महाविद्यालयों, अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों तथा राज्य विवि परिसरों में कार्यरत नियमित प्राध्यापक और नियमित संस्थागत रूप में अध्ययनरत छात्र एवं शोध अध्येता पात्र होंगे।

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना विभाग की ओर से निर्धारित वार्षिक कैलेंडर के अनुसार संचालित होगी। सचिव उच्च शिक्षा शैलेश बगोली ने बताया कि इस साल इस योजना के लिए दो करोड़ बजट का प्रावधान किया गया है। ये भी तय हुआ कि पांच लाख से ऊपर के जो भी शोध प्रस्ताव होंगे, उनमें छात्रों को अनिवार्यतः शामिल करना होगा। इसके लिए बाकायदा प्रतियोगिता होगी, जिसमें से श्रेष्ठ शोध को ही अनुदान मिलेगा।

तीन किश्तों में मिलेगी शोध की धनराशि

शोध के लिए 15 लाख रुपये अनुदान मिलेगा, जिसे विशेष परिस्थितियों में अत्यंत महत्व के शोध के लिए राज्य शोध एवं विकास प्रकोष्ठ समिति की संस्तुति के आधार पर अतिरिक्त 20% तक बढ़ाते हुए कुल 18 लाख तक अनुमन्य किया जा सकता है।

शोध की अनुदान राशि तीन किश्तों में संस्था के शोध एवं विकास प्रकोष्ठ के खाते में डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। शोध कार्य के लिए शोध सहयोगी के प्रथम योगदान से शोध कार्य की समाप्ति की तिथि तक 5,000 रुपये प्रति माह की दर से शोध मानदेय दिया जाएगा।

ऐसे होंगे आवेदन : मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन समर्थ पोर्टल से आवेदन होगा। प्रस्तावित योजनान्तर्गत सचिव, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय शोध व विकास प्रकोष्ठ समिति का गठन किया जाएगा।

उच्च शिक्षा में शोध को बढ़ावा, युवाओं को उद्यमी बनाएंगे

देहरादून, विशेष संवाददाता। विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों में सामान्य पढ़ाई के साथ-साथ युवाओं को उद्यमिता, स्टॉर्ट अप स्थापित करने के लिए सरकार जागरूक और प्रोत्साहित करेगी। गुरुवार को कैबिनेट ने देवभूमि उद्यमिता योजना को भी हरी झंडी दे दी। दूसरी तरफ, उच्च शिक्षा में जनोपयोगी शोध को बढ़ावा देने के लिए भी सीएम उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना को भी हरी झंडी दे दी गई। चुने गए शोध को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सरकार 18 लाख रुपये तक आर्थिक सहायता देगी।

उच्च शिक्षा सचिव शैलेश बगोली ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में युवाओं के कौशल विकास और उद्यमिता से जोड़ने पर भी जोर दिया गया है। इसके तहत राज्य में इस योजना लागू किया जा रहा है। इसके तहत उच्च शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत वीसी, प्राध्यापक और छात्रों को विभिन्न स्तर पर प्रशिक्षण दिए जाएंगे। 90 लोगों को इस प्रकार मेंटोर के रूप में तैयार किया जाएगा। जोकि आगे छात्रों को प्रशिक्षण देंगे।

सीएम मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति के बाद अब ये दोनों नई योजनाएं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होंगी। वहीं युवाओं को पढ़ाई के साथ उद्यमिता से भी जोड़ा जा सकेगा।

शैलेश बगोली, सचिव, उच्च शिक्षा

बगौली ने बताया कि इसके तहत तीन हजार युवाओं का हर साल प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान के तहत युवाओं के लिए स्वरोजगार की संभावनाओं वाले 100 प्रोजेक्ट को डिजाइन किया जाएगा। इस योजना में भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान (ईडीआईआई)-अहमदाबाद के साथ इसके लिए एमओयू किया गया है। बगोली ने बताया कि कैबिनेट ने उच्च शिक्षा विभाग में महत्वपूर्ण सीएम उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना को भी मंजूर किया है।

(संबंधित समाचार पेज ›› 18 पर)

पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी

परीक्षार्थियों को राहत, प्रतियोगी परीक्षा केंद्र तक जाने को बस किराये में 50 प्रतिशत की छूट

राज्य ब्यूरो, देहरादून : पुष्कर सिंह धामी सरकार ने अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए रोजगार के द्वार खोल दिए। राजपत्रित और अराजपत्रित पदों पर उन्हें सीधे नियुक्ति मिलेगी। मंत्रिमंडल ने इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक राज्य परिवहन निगम की बसों में यात्रा करने पर किराये में 50 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया।

राज्य मंत्रिमंडल ने युवाओं, खिलाड़ियों, किसानों और ग्रामीणों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगाई। साथ ही पर्यटन प्रदेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाते हुए नगरीय क्षेत्रों के विस्तार को स्वीकृति दी गई। सचिवालय में गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में 30 बिंदुओं पर निर्णय लिए गए। मुख्य सचिव डा एसएस संधु ने इन निर्णयों को ब्रीफ किया। उन्होंने बताया कि राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ी अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए अन्य राज्यों में पलायन कर रहे हैं। वहां सेवायोजन प्राप्त कर रहे हैं। परिणामस्वरूप प्रतिभाएं होने के बावजूद उत्तराखंड खेलों में पिछड़ गया।

उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने 2000 रुपये से लेकर 5400 रुपये ग्रेड वेतनमान के पदों पर खिलाडिय़ों को रोजगार देने की व्यवस्था को स्वीकृति दी। छह विभागों खेल, युवा कल्याण, पुलिस, वन, माध्यमिक शिक्षा और परिवहन में उन्हें नियुक्तियां दी जाएंगी। खेल नीति-2021 के अंतर्गत यह व्यवस्था एक जनवरी, 2013 से लागू होगी। यानी, एक जनवरी, 2013 के बाद के अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं को भी नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी • जागरण आर्काइव

घाट और मुनस्यारी नई नगर पंचायत

प्रदेश में शहरों का विस्तार करते हुए चमोली जिले के घाट ब्लाक और पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी ब्लाक को नगर पंचायत बनाया गया है। नैनीताल जिले की भीमताल नगर पंचायत नगर पालिका परिषद में उच्चीकृत की गई है। चार नगर निकायों में नगर पालिका परिषद नरेंद्र नगर, हरबर्टपुर व रुद्रप्रयाग और कीर्तिनगर नगर पंचायत की सीमा का विस्तार किया गया है।

कैबिनेट के प्रमुख निर्णय

- मानव-वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली पर मुहर, संघर्ष में मृतक के स्वजन को मिलेगी छह लाख अनुग्रह राशि
- सेब की अति सघन बागवानी योजना के तहत वर्ष 2030-31 तक 5000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगेंगे सेब के बाग, 50 हजार को मिलेगा रोजगार
- ऊधमसिंह नगर जिले में पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को हरी झंडी, रनवे की लंबाई 1372 मीटर से बढ़ाकर 3000 मीटर करेंगे, 804.016 एकड़ भूमि का करेंगे अधिग्रहण
- कलस्टर आधारित छोटे पालीहाउस में सब्जी एवं फूलों की खेती की योजना होगी संचालित, न्यूनतम 50 वर्गमीटर आकार के 7500 पालीहाउस बनेंगे, एक लाख को मिलेगा रोजगार
- उच्च शिक्षा में देवभूमि उद्यमिता योजना को स्वीकृति, प्रतिवर्ष 3000 छात्र-छात्राओं को मिलेगा कौशल विकास प्रशिक्षण, स्थापित कर सकेंगे स्टार्टअप
- मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना होगी लागू, शोध के लिए 15 लाख या अधिकतम 18 लाख मिल सकेगा अनुदान
- राज्य में विभिन शैक्षणिक संस्थाओं के खेल मैदान व अन्य सरकारी खाली भूमि व परिसंपत्तियों को विभागीय समय के अतिरिक्त उपयोग में लाने को नियमावली मंजूर
- चिकित्सा शिक्षा विभाग की नर्सिंग संवर्ग (अराजपत्रित) नियमावली में संशोधन का निर्णय, वर्तमान शैक्षिक सत्र में राजकीय मेडिकल कालेजों में वर्षवार योग्यताक्रम के आधार पर भर्ती होगी
- विधानसभा का मानसून सत्र अगले माह पांच से आठ सितंबर तक चलेगा, अनुपूरक बजट भी होगा प्रस्तुत

लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के लिए मिलेगी छूट

मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री प्रतियोगी परीक्षा परीक्षार्थी रियायत परिवहन योजना, 2023 को स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री ने प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिभाग करने वाले परीक्षार्थियों को राज्य के भीतर गृह स्थान से परीक्षा केंद्र तक राज्य परिवहन निगम की बसों में यात्रा करने पर किराये में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एवं उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की प्रतियोगी लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार में सम्मिलित होने पर परीक्षार्थी इस सुविधा के हकदार होंगे।

ततैयों के हवाले से मृत्यु पर भी छह लाख का मुआवजा »9

तीन हजार युवाओं को प्रतिवर्ष मिलेगा उद्यमिता का प्रशिक्षण

- देवभूमि उद्यमिता योजना को स्वीकृति, सरकारी डिग्री कालेज छात्र शुरू कर सकेंगे स्टार्टअप
- भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अधिकारियों, कालेज प्राचार्यों कुलपतियों को भी देगा प्रशिक्षण

राज्य ब्यूरो, देहरादून : राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों में उद्यमिता और कौशल विकास का रास्ता साफ कर दिया है। मंत्रिमंडल ने इस संबंध में देवभूमि उद्यमिता योजना प्रारंभ करने पर सहमति दी। योजना में सरकारी डिग्री कालेजों के 3000 युवाओं को प्रतिवर्ष उद्यमिता व कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्हें स्टार्टअप के लिए भी प्रेरित किया जाएगा।

उच्च शिक्षा विभाग और भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान, अहमदाबाद के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर के बाद इस योजना को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। योजना के अंतर्गत राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र-छात्राओं को बूट कैंप, पिचिंग इवेंट, सेंटर आफ एक्सीलेंस, उद्यमिता विकास को प्रोफाइल एंड अपोर्चुनिटी मैपिंग को लेकर दक्ष बनाया जाएगा। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान विभागीय अधिकारियों, कालेज प्राचार्यों व कुलपतियों को भी प्रशिक्षण देगा। साथ में उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए उद्यमिता पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। उच्च शिक्षा सचिव शैलेश बगोली ने बताया कि इस योजना के संचालन को 7.11 करोड़ की कार्ययोजना तैयार की गई है।

एडवांस जंतु विज्ञान को नियमावली में स्थान

मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) (पंचम संशोधन) सेवा नियमावली, 2023 को हरी झंडी दिखाई। इसके अंतर्गत प्रवक्ता जीव विज्ञान के पदों की शैक्षिक अर्हता में जंतु विज्ञान के साथ एडवांस जंतु विज्ञान को भी सम्मिलित किया गया है। हाईकोर्ट के निर्देश पर गठित विषय विशेषज्ञों की त्रिस्तरीय समिति की संस्तुति पर यह निर्णय लिया गया। समिति ने एमएससी एडवांस जंतु विज्ञान और एमएससी जंतु विज्ञान के पाठ्यक्रम में 90 प्रतिशत समानता पाई। अब इसे नियमावली में शामिल किया गया है।

उच्च शिक्षा में शोध को बढ़ावा

15 लाख तक शोध अनुदान

प्रोत्साहन

राज्य ब्यूरो, देहरादून : उत्तराखंड में उच्च शिक्षा की तस्वीर जल्द बदली हुई नजर आएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार उच्च शिक्षा का स्तर सुधारने को सरकारी विश्वविद्यालयों एवं संबद्ध राजकीय व सहायताप्राप्त अशासकीय डिग्री कालेजों में शोध को बढ़ावा दिया जाएगा। शोध कार्य के लिए अनुदान को लेकर सरकार ने अपनी पोटली खोली है। अधिकतम 15 लाख और विशेष परिस्थितियों में 18 लाख की राशि शोध अनुदान के तौर पर मिलेगी। शिक्षक और छात्र-छात्राएं, दोनों ही इस अनुदान के पात्र होंगे।

मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी। इसे शैक्षणिक सत्र 2023-24 से प्रारंभ किया जाएगा। मानविकी, सामाजिक विज्ञान, भाषा, साहित्य, पर्यावरण, ज्वलंत विषयों, उत्तराखंड विकास, पर्यटन, परंपरागत विज्ञान, इंजीनियरिंग में उभरते क्षेत्रों में शिक्षण और शोध को प्रोत्साहित किया जाएगा। गृह विज्ञान, वाणिज्य प्रबंधन सहित अंतर्विषयक क्षेत्र में भी शोध हो सकेगा। राज्य से संबंधित शोध विषयों में विशिष्ट समस्या समाधान और क्रियात्मक शोध को प्राथमिकता दी जाएगी।

उच्च शिक्षा सचिव शैलेश बगोली ने बताया कि इस योजना में उच्च शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय शोध एवं विकास प्रकोष्ठ समिति का गठन किया जाएगा। इसमें शोध के लिए अनुदान की अधिकतम राशि 15 लाख रुपये तक होगी। विशेष परिस्थितियों में अत्यंत महत्व के शोध कार्यों के लिए समिति की संस्तुति के आधार पर अतिरिक्त 20 प्रतिशत बढ़ाते हुए 18 लाख रुपये तक अनुदान स्वीकृत किया जा सकता है। शोध की राशि तीन किस्तों में दी जाएगी। अनुदान राशि संस्था के शोध एवं विकास प्रकोष्ठ के खाते में डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। शोध कार्यों के लिए शोध सहयोगी को प्रथम योगदान से शोध कार्य की समाप्ति की तिथि तक 5000 रुपये प्रतिमाह की दर से मानदेय दिया जाएगा। इस योजना को विभाग निर्धारित वार्षिक कैलेंडर के अनुसार संचालित करेगा। योजना के लिए आनलाइन माध्यम समर्थ पोर्टल पर आवेदन करना होगा।